



छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10/8/11

// संशोधित अधिसूचना //

क्रमांक एफ-20-95/04/11/6- चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि औद्योगिक नीति 2004-09 के परिशिष्ट-4 के "बिन्दु क्रमांक 2-अधोसंरचना लागत/स्थायी पूंजी निवेश अनुदान" में उपबिन्दु "ख" एवं "ग" की तालिका में अधिकतम सीमा (मात्रा में) त्रुटिवश अंकित नहीं हो पायी थी।

अतः एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 के परिशिष्ट-4 के "बिन्दु क्रमांक 2-अधोसंरचना लागत /स्थायी पूंजी निवेश अनुदान" के उपबिन्दु 'ख' एवं 'ग' में त्रुटि सुधार करते हुये तालिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात् :-

ख- वृहद-मध्यम उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	अधोसंरचना लागत का 25% या राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि में ₹ 90 लाख	सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि में ₹ 110 लाख
श्रेणी ब-अति पिछड़े / अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र	सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि में ₹ 100 लाख	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि में ₹ 120 लाख

ग- मेगा प्रोजेक्ट

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	अधोसंरचना लागत का 25% या राज्य में भुगतान किये गये 5 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि ₹ 300 लाख	सकल पूंजी निवेश का 25% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि ₹ 350 लाख
श्रेणी ब-अति पिछड़े / अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र	सकल पूंजी निवेश का 35% या राज्य में भुगतान किये गये 7 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि ₹ 350 लाख	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि ₹ 500 लाख

अति वृहद उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि ₹ 300 लाख	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि ₹ 350 लाख
श्रेणी ब-अति पिछड़े / अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि ₹ 350 लाख	सकल पूंजी निवेश का 45% या राज्य में भुगतान किये गये 9 वर्ष के वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य राशि अधिकतम राशि ₹ 500 लाख

(2) यह संशोधित अधिसूचना औद्योगिक नीति 2004-09 के लागू होने के दिनांक अर्थात् 01.11.2004 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(दिनेश श्रीवास्तव)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग